

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक



क्षेत्रीय कार्यालय: ३-डी, ताशकन्द मार्ग,

इलाहाबाद-211001 (उपर्युक्त) फोन: 7311121885, फैक्स: 0532-2607653

नीलामी
सूचना

जबकि, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुरनगठन एवं प्रतिभूतिकरण के लिए नियम 2002 (SARFAESI ACT 2002) (54 OF 2002) की धारा 13(12) के नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को नीलामी जारी की गई थी तथा बन्धक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामाज्य व ऋणी/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित पामलों में बकाया धनराशि को वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की विकी प्रतिभूतिकरण और पुरनगठन तथा प्रतिभूतिकरण के लिए नियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों को नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर" "नीलामी हेतु प्राप्त टेंडरों में से सर्वाधिक राशि के टेंडरों के पक्ष में की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरांत अधिनियम के नियम 8 के उपरांत अधिनियम 6 के अंतर्गत निर्धारित तिथि 29.04.2019 एवं स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इलाहाबाद और समय प्रातः: 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के मध्य नीलामी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

अंतिम तिथि EMD/Document जमा करने के लिए 26.04.2019 सायं 04:00 बजे तक है।

क्र. सं.	खातेवारों/जमानतदारों का नाम एवं पता बकाया धनराशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	निर्धारित आमंत्रित मूल्य/अधिग्रहणराशि (रु.)
1.	ऋणी: श्री बुद्धिराम जमानतकर्ता: श्री बाबू लाल एवं श्री राम चन्द्र। कुल बकाया राशि: रु. 2,48,269 + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा: डांडी	(1) आराजी सं. 120/2 एम (शेष क्षेत्रफल) का एक मौजूदा भाग जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर है तथा यह सम्पत्ति छिवकी, परगना-अरैल, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी: पूरब : रास्ता, परिचय : आराजी का भाग, उत्तर : शीतला पाण्डेय एवं शीतला पाण्डेय का प्लाट, दक्षिण : राम लीला का मकान।	रु. 5,24,000/- रु. 52,400/-
2.	ऋणी: श्री राम लीला जमानतकर्ता: श्री घनश्याम एवं श्री राम चन्द्र। कुल बकाया राशि: रु. 3,10,851/- + ब्याज एवं अन्य खर्च। शाखा: डांडी	आराजी सं. 120/2 एम (शेष क्षेत्रफल) का एक मौजूदा भाग जिसका क्षेत्रफल 63.20 वर्गमीटर है तथा यह सम्पत्ति छिवकी, परगना-अरैल, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज में स्थित है। चौहद्दी: पूरब : रास्ता, परिचय : आराजी का भाग, उत्तर : बुद्धि राम का मकान, दक्षिण : अमरनाथ का प्लाट।	रु. 4,00,000/- रु. 40,000/-

नीलामी की तिथि एवं समय - 29.04.2019 पूर्वाहन 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे, नीलामी का स्थान : बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, ३ डी ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

नियम व शर्तें :- (1) यह नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है के आधार पर" हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वात्म जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्तियां भारोवृक्त हैं फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार, टाइटिल, क्लेम, देयताओं आदि की स्वयं जांच कर लें। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम, अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, वे नीलामी तिथि के पहले सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद से संपर्क कर सकते हैं। (4) इच्छुक बोलीदाता विड धनराशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि बैंकर चेक/डिमांड ड्रापट जो कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में प्रयागराज में देय हो, एक शील बंद लिफाफे में जमा करना होगा। प्रस्ताव दिनांक 26.04.2019 को सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं उसे नीलामी तिथि को अपराह्न 00:00 बजे खोला जायेगा। (5) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामीकर्ता की धरोहर राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत EMD राशि के अतिरिक्त उसी दिन तुरन्त जमा करना होगा। शेष धनराशि उसे 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा। (7) सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना सूचना के जब्त कर ली जायेगी। (8) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा इस प्रकार के भुगतान के लिये क्रेता उत्तरदायी होगा। यह प्रकाशन नियम प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिन की नोटिस है। ऋणियों/जमानतदारों को यह सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले बैंक के कुल बकाया राशि की वसूली ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित कर ली जायेगी, यदि कोई हो।

दिनांक : 29.03.2019 स्थान : प्रयागराज सम्पर्क नं. 7311121885 प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक